ACM आमेर जू. जयपुर

फर्द अहकाम

केलीदेवी बनाम गंगाधारी

नाम न्यायालय TR

केस संख्या 78/25

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	17/3/26	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप। अप्रार्थी-2 अनुपस्थित है अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश प्र०प० दिनांक 19/3/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	19/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। इनके उभय पक्षों के तर्कों का मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से परिशीलन किया। प्रार्थिया तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, और अपूरणीय क्षति अपने पक्ष में साबित करने में असमर्थ रही है, अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] किया जाता है। [illegible] पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली [illegible] अनुसार दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 78/2025 प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक 25.06.2025

केली देवी पत्नि हनुमान सहाय, उम्र व्यस्क, निवासी केशोपुरा, भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. मनभरी देवी पत्नि कल्याण सहाय, उम्र व्यस्क, निवासी– केशोपुरा, भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. भौरी देवी पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण, उम्र व्यस्क, निवासी :– केशोपुरा, भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
3. तहसीलदार, तहसील रामपुरा डाबरी, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक, जयपुर, पताः उपपंजीयन कार्यालय, जयपुर।

अप्रार्थीगण

<u>अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत</u>
<u>धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

निर्णय दिनांक 19.03.2026

उपस्थिति :–

1. श्री शिवम कुमार शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री रूपेन्द्र सिंह – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि यह कि ग्राम राजावास, पटवार हल्का नांगल सिरस, भू.अभि.नि. क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबरी, जिला जयपुर में खाता संख्या नया 179 पुराना 167 में निम्नलिखित आराजी भूमि स्थित है :– खसरा नम्बर 196 रकबा 4.0400 हैक्टेयर, 200 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, 201 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 202 रकबा 0.9300 हैक्टेयर कुल खसरे 4 कुल रकबा 5.000 हैक्टेयर है, उपरोक्त आराजी भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 तथा अप्रार्थी संख्या 2 का 1/2 अविभाजित हक हिस्सा है। यह कि उपरोक्त मद नम्बर 2 में वर्णित आराजी भूमि में प्रार्थी का 1/4 अविभाजित हक हिस्सा है एवं प्रार्थी के नाम उपरोक्त आराजी भूमि में अपने उपरोक्त हक हिस्से का नामान्तरकरण खुला हुआ है। प्रार्थी द्वारा अपने हक हिस्से की आराजी को आज दिन तक किसी को विक्रय या हस्तान्तरित इत्यादि नहीं किया है एवं आज भी प्रार्थी का उपरोक्त मद संख्या 1 में वर्णित आराजी भूमि पर अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त रूप से भौतिक एवं वास्तविक कब्जा है। यह कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित आराजीयात का आज दिन तक बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर कोई बंटवारा नहीं हुआ है एवं प्रार्थी का उपरोक्त आराजी भूमि पर अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व एवं आधिपत्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:46 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से कई मर्तबा उपरोक्त आराजी का वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा किये जाने हेतु कहा जा चुका है, बावजूद इसके अप्रार्थी संख्या 1 व 2 इसमें टालमटोल करते रहे हैं एवं अब जब जमीनों की कीमतों में अत्यधिक तेजी आ गई है एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपरोक्त आराजी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा किये बिना प्रार्थी को उसके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर उसे अन्य को विक्रय हस्तान्तरित करने पर आमादा है तथा माह जून 2025 में प्रार्थी द्वारा पुनः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से तकासमा करने बाबत् कहा गया, परन्तु उनके द्वारा भी ऐसा करने से इंकार कर दिया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उपरोक्त आराजी भूमि का बिना विधिवत रूप तकासमा करवाने उपरोक्त सम्पत्ति को अन्य दीगर व्यक्ति को खुर्द बुर्द, विक्रय, हस्तानान्तरण करने, भू–परिवर्तन करवाने की धमकी दी तथा जबरन निर्माण करने की धमकी दी। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास माननीय न्यायालय की शरण में आकर वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प किसी प्रकार से शेष नहीं रहा है। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कोई अधिकार नहीं है कि वे प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित अविभाजित आराजी भूमि जब तक बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बटवारा ना हो जावे एवं प्रार्थी को उसका हक हिस्सा विभक्त होकर ना मिल जावे तब तक उक्त आराजी अथवा उसके किसी भाग से प्रार्थी को किसी प्रकार से बेदखल ही करे, करावे अथवा प्रार्थी द्वारा अपने हक हिस्से की अविभाजित आराजी का उपयोग उपभोग किये जाने में किसी प्रकार की कोई बाधा रूकावट ही कारित करे

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 13.03.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने जाहिर किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में किये कथन गलत एवं असत्य है, वास्तविक तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 अपनी हक हिस्से की कब्जे काश्त भूमि पर काबिज काश्त है। इसलिए प्रार्थी को कोई प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित नहीं है ना ही सुविधा का संतुलन प्राप्त है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से परिशीलन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु न्यायालय को मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर विचार करना होता है: (1) प्रथम दृष्ट्या मामला (Prima Facie Case), (2) सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience), और (3) अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:46 IST
Reason: SelfAttested

(1) प्रथम दृष्ट्या मामला (Prima Facie Case) : उपरोक्त वाद बंटवारे से संबंधित है तथा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2074 से 2077 से जाहिर है कि सभी सहखातेदारान का हिस्सा समाहित है। विधि अनुरूप अविभाजित भूमि (Undivided land) पर सभी सहखातेदारो का प्रत्येक इंच पर हित समाहित होता है। उक्त आराजी वर्तमान में विधि अनुसार बांटी नहीं गयी है। फ़लस्वरूप एक सहखातेदार द्वार दुसरे सहखातेदार को पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है, इससे संबंधित उच्च न्यायालय में भी कई निर्णिय पारित किये गये है। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

(2) सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience) : जब विवादित आराजी अविभाजित भूमि (Undivided land) हो तो सहखातेदार को पांबद किया जाना उचित नहीं है इसके अतिरिक्त प्रार्थीया ने ऐसे कोई तथ्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे जाहिर हो कि किस प्रकार प्रार्थीया को क्षति हो रही है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है।

(3) अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss) : प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में जाहिर किया है कि विवादित भूमि पर अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त रूप से भौतिक एवं वास्तविक कब्जे पर धारित है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीया को कौनसे हिस्से पर अपूरणीय क्षति हो रही है ऐसा कोई तथ्य नहीं रखा है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज अथवा गवाह पेश किया है।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीया तीनो बिंदुओं प्रथम दृष्ट्या मामला (Prima Facie Case),सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience), और अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss)। अपने पक्ष में साबित करने में असमर्थ रही है अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर